

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

आदेश

वाद सं० एम 63/2022

धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता

प्रथम पक्ष..... शांति देवीवगैरह।
बनाम
द्वितीय पक्ष गोपाल साहु वगैरह।

22.8.22

वाद की कार्रवाई थाना बसिया के अप्राथमिकी सं० 32/2022 दिनांक 18.06.2022 धारा 144 द०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रतिवेदित किया जाता है कि प्रथम पक्ष (1) शांति देवी उम्र 68 वर्ष, पति - स्व० सोमनाथ भगत (2) अरुणा कुमारी, उम्र 35 वर्ष पिता - स्व० सोमनाथ भगत (3) संत भगत उम्र 45 वर्ष पिता - स्व० सोमनाथ भगत सभी सा० - बसिया दीवानटोली, थाना - बसिया, जिला - गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) गोपाल साहु उम्र 58 वर्ष, पिता - स्व० सोमन साहु (2) मोहन साहु उम्र 48 वर्ष पे० स्व० सोहन साहु (3) मोनु कुमार उम्र 31 वर्ष पे० गोपाल साहु सभी सा० - बसिया दीवानटोली, थाना - बसिया, जिला - गुमला के बीच मौजा बसिया खाता सं० - 09 प्लॉट सं० 1898 रकबा 0.82 एकड़ एवं खाता संख्या - 09 प्लॉट 1897 कुल रकबा 0.44 एकड़ को लेकर लड़ाई झगड़ा का विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्षों के द्वारा अशांति फैलाने की सम्भावना है। विवादित जमीन की चौहद्दी निम्न प्रकार है :-

पूरब में गोपाल साहु का ऊंचा बाउंड्री किया हुआ जमीन है, जहां बाउंड्री में एक बड़ा दरवाजा लगा हुआ है। पश्चिम में शांति देवी का घर एवं घर बाद बारी है। उत्तर में गोपाल सोनी पे० शीतल सोनी का एक तल्ला पक्का मकान है तथा दक्षिण दिशा में मनोज साहु पे० सूरज साहु का ईंट एवं अल्वेस्टर से छाया हुआ मकान है।

थाना प्रभारी बसिया के प्रतिवेदन के आलोक में उत्पन्न विवाद के मदेनजर उभय पक्षों को विवादित भूमि पर 60 दिनों के लिए जाने से प्रतिबंधित करते हुए उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये हैं।

प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एवं दाखिल कागजात :-

प्रथम पक्ष नोटिस प्राप्त कर अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि प्रस्तुत वाद अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बसिया पत्रांक - 272/22 दिनांक - 18.06.2022 के आलोक में अनु०जाति / अनु०जनजाति काण्ड सं० 02/2022 दिनांक - 21.03.2022 धारा 323, 325, 506, 509 भा०द०वि० एवं 3 (1) & r(s) अनु०जाति/ अनु०जनजाति अत्याचार अधिनियम 1889 संशोधन 2015-18 को लेकर धारा 107 सब धारा 144 द०प्र०सं० के तहत आरंभ की गई है।

प्रस्तुत वाद जमीन अन्तर्गत मौजा बसिया, थाना - बसिया के खाता सं० - 09 प्लॉट सं० 1898 रकबा 0.82 एकड़ एवं खाता संख्या - 09 प्लॉट 1898 कुल रकबा 0.44 एकड़ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बसिया के प्रतिवेदन के अनुसार एवं बसिया थाना अप्राथमिकी काण्ड सं० 04/2022 दिनांक

- 18.06.2022 के अनुसार संबंधित है। दोनों प्रतिवेदन के अनुसार स्थल का निरीक्षण नहीं किया गया है। उक्त खाता सं० 09 प्रतिवेदन के अनुसार 0.82 एकड़ एवं 0.44 एकड़ दर्शाया गया है और जबकि उनके खाता नं० 30 है। ऐसी परिस्थिति में उक्त वाद प्रथम पक्ष के विरुद्ध चलने योग्य नहीं है और खारिज करने लायक है। किसी भी पक्षों के द्वारा जमीन संबंधी विवाद को लेकर कोई शिकायत नहीं कह गई है। वास्तविकता यह है कि जमीन अन्तर्गत मौजा बसिया खाता नं० 30 प्लॉट 1898, रकबा 0.82 एकड़ जमीन प्रथम पक्ष के पूर्वजों की जमीन है। जिसकी जमाबन्दी चन्दा उरॉव, भुरंगा उरॉव व फागु उरॉव के नाम रजिस्टर 11 में भोलुम नं० 01 पेज नं० 46 पर दर्ज है। (पंजी 11 ऑनलाईन सरकारी लगान रसीद ऑफलाईन एवं ऑनलाईन की छायाप्रति संलग्न है)।

पूर्व में प्रथम पक्ष शांति देवी, पति - स्व० सोमनाथ भगत के द्वारा सीमांकन के लिये सीमांकन वाद सं० 10/11-12 लाया गया था, जिसमें अंचल अधिकारी, बसिया अंचल निरीक्षक एवं हल्का कर्मचारी एवं अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति में नापी कर नक्शा बना दिया गया था और तदनुसार प्रथम पक्ष शांति देवी एवं उनके परिवार का दखल कब्जा पाया गया। उक्त जमीन को लेकर बार - बार द्वितीय पक्षों के द्वारा अबला बिधवा औरत होने के नाते प्रथम पक्षों को बिना हक व सरोकार के परेशान किया जा रहा है और जातिसुचक शब्द प्रयोग कर गाली - गलौज व धमकी तथा मारपीट किया जा रहा है, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बसिया के प्रतिवेदन में स्पष्ट है। द्वितीय पक्ष दबंग और संख्याबल में अधिक होने के कारण प्रथम पक्ष के सदस्यों पर कभी भी जानलेवा हमला कर सकते हैं और कोई भी अप्रिय घटना कर सकते हैं।

उपरोक्त परिस्थिति एवं साक्ष्यों के आधार पर श्रीमान से अनुरोध है कि धारा 144 द०प्र०सं० की कार्यवाही प्रथम पक्ष के विरुद्ध विलोपित करते हुये द्वितीय पक्ष के सदस्यों के विरुद्ध स्थिर किया जाय।

प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल कागजात।

- 1 पंजी 11 की छाया प्रति।
- 2 सरकारी लगान रसीद की छायाप्रति।
- 3 ऑनलाईन सरकारी रसीद की छायाप्रति।
- 4 सीमांकन वाद सं० 10/11-12 के आदेश एवं कार्यवाही की छायाप्रति।

द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एवं दाखिल कागजात :-

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि प्रस्तुत वाद की कार्यवाही जो धारा 144 द०प्र०सं० के अन्तर्गत द्वितीय पक्ष के सदस्यगण के विरुद्ध प्रारंभ की गई है यह विधि व तथ्यों के विपरित होने के कारण चलने योग्य नहीं है तथा द्वितीय पक्ष के सदस्यगण के विरुद्ध विलुप्त होने योग्य है। कार्यवाही पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर खाता नं० - 30 प्लॉट नं० - 1898, रकबा - 0.82 एकड़ एवं खाता नं० - 09, प्लॉट नं० 1897, रकबा - 0.44 जमीन जो ग्राम व थाना बसिया, जिला - गुमला के विवाद के मद्देनजर यह कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

द्वितीय पक्ष के सदस्यगण से संबंधित जमीन खाता नं० 09, प्लॉट नं० - 1897, रकबा - 0.44 एकड़ जमीन है और प्रथम के सदस्य से संबंधित जमीन का खाता नं० 30 प्लॉट नं० 1898, रकबा - 0.82 एकड़ जमीन है जो एक स्वीकृत तथ्य है।

खाता नं० 09, प्लॉट नं० 1897, रकबा 0.54 एकड़ जमीन का खतियान रिभिजन सर्वे में अपजा सेटु अतिया के नाम से कायमी के रूप में दर्ज हुआ है। उपरोक्त जमीन खतियानी रैयत की पत्नी (वारिस) मसोमात चांदु सेटु अतियाईन द्वारा अन्दु साहु को निबंधित विक्रय पत्र दिनांक - 15.08.1939 के द्वारा उचित प्रतिफल की राशि लेकर हस्तांतरित कर दी थी। तत्पश्चात अन्दु साहु द्वारा पुनः उपरोक्त खरीदगी जमीन निबंधित विक्रय पत्र संख्या 334 दिनांक - 10.02.1942 द्वारा जगदीप नारायण चौधरी को हस्तांतरित कर दखल भी उन्हें दे दिया। जगदीप नारायण चौधरी जमीन के पूर्व उसकी मालगुजारी जमींदार को अदा करते रहे और जमींदारी उन्मीन के पश्चात सरकार द्वारा उन्हें रैयत मानते हुए सरकारी माल गुजारी रसीद निर्गत की जाने लगी। जगदीश नारायण चौधरी की मृत्यु के बाद उनके

तीनों पुत्रों में से राजकुमार चौधरी को उपरोक्त जमीन हिस्से में मिली और उस पर वे दखल कार होकर वह अपने नाम से नामांतरण करवा कर अपने नाम पर सरकार को मालगुजारी देने लगे । स्टेट हाईवे द्वारा उपरोक्त में से 0.10 एकड़ जमीन अधिगृहित की गई इसलिए राजकुमार चौधरी की उपरोक्त जमीन 0.44 एकड़ बची जिसे उन्होंने स्वयं निबंधित विक्रय पत्र संख्या 1216 दिनांक 22.05.2015 के द्वारा रश्मि जायसवाल व संध्या रानी जयसवाल को स्थानांतरित कर दिया। जमीन खरीदने के बाद रश्मि जयसवाल वगैरह की उक्त खरीदगी भूमि पर दखलकार हुए तथा अपने नाम से नामांतरण कराकर सरकार को मालगुजारी अदा करने लगे। रश्मि जयसवाल वगैरह द्वारा पुनः उपरोक्त भूमि आशा देवी जो द्वितीय पक्ष संख्या 1 की पत्नी व द्वितीय पक्ष संख्या 3 की माता है को निबंधित विक्रय पत्र संख्या 380 दिनांक 11.05.2017 द्वारा हस्तांतरित कर दिया। जमीन खरीदने के बाद आशा देवी उस भूमि पर दखल कार हुई उसका नामांतरण भी नामांतरण वाद संख्या 54 R 27/2016-17 द्वारा करवा कर सरकार को मालगुजारी अदा करती आ रही है इसके अलावा उनके द्वारा अपने खरीद की 0.44 एकड़ जमीन पर चारदीवारी देकर एक बड़ा लोहे का गेट भी लगवाया गया है। द्वितीय पक्ष के सदस्य गण का प्रथम पक्ष की जमीन खाता संख्या 30 प्लॉट नंबर 1898 पर किसी प्रकार का कोई दावा नहीं है परंतु प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष की जमीन के सामने स्टेट हाईवे की जमीन को जो द्वितीय पक्ष के प्लॉट संख्या 1897 का ही भाग है। उस पर बेवजह बिना किसी हक सरोकार के दावा किया जा रहा है जो पूर्णता विधि विरुद्ध व अनुचित है । उपरोक्त दोनों जमीन के रिवीजन सर्वे के नक्शा व हाल सर्वे का नक्शा देखने से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि वह दोनों प्लॉट की जमीन रास्ते में गई है और प्रथम पक्ष को जमीन बसिया से रांची जाने वाले रास्ते की उत्तर तरफ है और रास्ता के पार उसकी 1 इंच जमीन भी नहीं है परंतु लोगों के बहकावे में आकर व द्वितीय पक्ष के सामने रास्ता की जमीन पर कब्जा करने हेतु आमदा है। हाल सर्वे में प्रथम पक्ष का प्लॉट संख्या 2161 व 2163 बना है तथा द्वितीय पक्ष का प्लॉट संख्या 2120 बना है । हाल सर्वे के नक्शा में भी द्वितीय पक्ष के कथन की पुष्टि होती है । उक्त भूमि के विवाद के कारण श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी व अंचल अधिकारी बसिया द्वारा वर्ष 2020 व 2022 ईस्वी में जमीन का मापी कराई गई थी तथा उसमें भी प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के प्लॉट संख्या 1897 का अतिक्रमण किए जाने की बात की पुष्टि की गई है और हाल सर्वे के नक्शा को भी सही पाया है। प्रथम पक्ष अपने झूठे दावे के कारण द्वितीय पक्ष के सदस्यगण को परेशान करता रहता है तथा झूठा आरोप लगाकर उसके द्वितीय पक्ष के विरुद्ध एस0सी0/ एस0टी0 पी0एस0 केस नंबर 02/2022 भी दाखिल किया है जिसमें उसके कथन को गलत पाए जाने के पश्चात धारा 107 व 144 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही किए जाने की अनुशंसा पुलिस द्वारा की गई है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रथम पक्ष के सदस्य बिना किसी हक सरकार व दाखिल के द्वितीय पक्ष के प्लॉट पर जो रास्ते में जा चुकी है पर अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे कभी भी झूठा मुकदमा कर सकते हैं या शारिरीक क्षति भी पहुंचा सकते हैं।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि धारा - 144 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही द्वितीय पक्ष के सदस्यगण के हित में विलुप्त करते हुये प्रथम पक्ष के विरुद्ध स्थिर करने की कृपा की जाय।

द्वितीय पक्ष की ओर से दाखिल कागजात।

1. निबंधित विक्री पट्टा संख्या - 380 दिनांक - 11.05.2017
2. Correction Slip
3. ऑनलाईन लगान रसीद
4. बंडा पर्चा खाता संख्या - 30 एवं 09
5. पंजी ।। की छायाप्रति
6. पुराना एवं नया सर्वे नक्शा
7. अंचल अधिकारी, बसिया का प्रतिवेदन दिनांक - 28.09.2022 एवं 15.02.2022

अंचल अधिकारी, बसिया का विवादित भूमि का जांच प्रतिवेदन

अंचल अधिकारी, बसिया से अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस कार्यालय के पत्रांक - 652 (ii) दिनांक - 17.08.2022 के द्वारा वांछित भूमि से संबंधित जांच प्रतिवेदन की मांग की गई थी। अंचल अधिकारी, बसिया के पत्रांक - 315 दिनांक - 22.08.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा बसिया के खाता संख्या 30, प्लॉट - 1898, रकबा 0.82 एकड़ एवं खाता संख्या 09 प्लॉट 1897 रकबा 0.44 एकड़ भूमि का स्थल जांच किया गया जिसका प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :-

आर एस खतियान के आधार पर भूमि मौजा बसिया खाता संख्या 09 प्लॉट 1897 रकबा 0.54 एकड़ भूमि आंखजा सेदु अतिया वल्द तुलसी सेदु के नाम से दर्ज है। वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 09 प्लॉट 1897 (नया प्लॉट नंबर 2120) रकबा 0.44 एकड़ भूमि पंजी 11 पर आशा देवी, पति गोपाल साहू के नाम पर दर्ज है। जिसका चौहदी निम्नवत है :-

उत्तर - गोपाल सोनी का मकान

दक्षिण - क्रेता के पति गोपाल साहू

पूरब - पक्की सड़क

पश्चिम - सिमडेगा रांची राज्य पथ

पट्टा संख्या 380 दिनांक 11.05.2017 के तहत क्रय किए हैं एवं दाखिल खारिज वाद संख्या 33/17-18 के अनुसार जमाबंदी कायम है। प्लॉट नंबर 1897 के पश्चिम तरफ रांची सिमडेगा उच्च पद के द्वारा पीटी 1897 से 0.10 एकड़ भूमि अधिग्रहण की गई है जिसका जिक्र पंजी 11 वॉल्यूम - 5 के पेज नंबर 915 में अंकित है। शेष भूमि को आशा देवी पति गोपाल साहू के द्वारा पट्टा संख्या 380 दिनांक 11.05.2017 के तहत खरीद कर बाउंड्री किया गया है जिसे अंचल अधिकारी के द्वारा वाद संख्या 33/17-18 के अनुसार जमाबंदी किया गया है। श्री संत कुमार बाउंड्री के आगे अतिक्रमण कर दीवाल दे रहे हैं। इस संबंध में श्री संत के पास कोई आदेश नहीं है। प्लॉट संख्या 1898 के पूर्वी भाग एवं प्लॉट संख्या 1897 के पश्चिम भाग से भूमि अधिग्रहण कर दोनों के बीच एस0एस0 सड़क गुजरती है। प्लॉट 1897 (नया प्लॉट 2120) एवं सड़क के बीच कोई भी व्यक्ति का कोई प्लॉट नहीं है। रा0उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि प्लॉट संख्या 1898 के पूर्वी भाग एवं 1897 का पश्चिम भाग द्वारा भूमि अधिग्रहित किया गया है, एवं आर0एस0 तथा अंतिम रूप से प्रकाशित हाल सर्वे नक्शा एवं वर्तमान में अवस्थित प्लॉट संख्या 1897 एवं 1898 का अधिग्रहण कर निर्मित किया गया है जिसमें हाल सर्वे नक्शा को दर्शाया गया तथा उच्च पथ को सही पाया गया।

निष्कर्ष

उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा दाखिल लिखित जवाब, कागजात, बहस थाना बसिया एवं अंचल अधिकारी, बसिया के प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादगत भूमि मौजा बसिया खाता संख्या - 30 प्लॉट 1898, रकबा - 0.82 एकड़ एवं खाता संख्या - 09, प्लॉट 1897, रकबा - 0.44 एकड़ भूमि से संबंधित है। प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के द्वारा लिखित जवाब एवं दाखिल दस्तावेज से स्पष्ट है कि खाता संख्या - 30, प्लॉट संख्या - 1898, रकबा - 0.82 एकड़ प्रथम पक्ष की जमीन है और उसे लेकर दोनों पक्षों में कोई विवाद नहीं है। उभय पक्षों के बीच विवाद का मुख्य कारण मौजा बसिया के खाता संख्या - 09, प्लॉट संख्या - 1897, रकबा - 0.44 भूमि है। अंचल अधिकारी, बसिया के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आर0एस0 खतियान में यह भूमि मौजा बसिया खाता संख्या - 09, प्लॉट - 1897, रकबा - 0.54 एकड़ अपजा सेदु अतिया वल्द तुलसी सेदु के नाम दर्ज है। वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या - 09, प्लॉट - 1897 (नया प्लॉट - 2120), रकबा - 0.44 एकड़ भूमि पंजी 11 में आशा देवी, पति - गोपाल साहू के नाम पर दर्ज है। इस भूमि के उत्तर में गोपाल सोनी का मकान है। दक्षिण में - क्रेता के पति गोपाल साहू, पूरब में - पक्की सड़क है तथा पश्चिम में - सिमडेगा रांची राज्य पथ है। प्लॉट नंबर 1897 के पश्चिम तरफ रांची सिमडेगा उच्च पद के द्वारा पीटी 1897 से 0.10 एकड़ भूमि अधिग्रहण की गई है जिसका जिक्र पंजी 11 वॉल्यूम - 5 के पेज नंबर

915 में अंकित है। शेष भूमि को आशा देवी पति गोपाल साहू के द्वारा पट्टा संख्या 380 दिनांक 11.05.2017 के तहत खरीद कर बाउंड्री किया गया है जिसे अंचल अधिकारी के द्वारा वाद संख्या 33/17-18 के अनुसार जमाबंदी किया गया है। प्लॉट संख्या 1898 के पूर्वी भाग एवं प्लॉट संख्या 1897 के पश्चिम भाग से भूमि अधिग्रहण कर दोनों के बीच एस0एच0 सड़क गुजरती है। प्लॉट 1897 (नया प्लॉट 2120) एवं सड़क के बीच कोई भी व्यक्ति का कोई प्लॉट नहीं है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि प्लॉट संख्या 1898 के पूर्वी भाग एवं 1897 का पश्चिम भाग द्वारा भूमि अधिग्रहित किया गया है, एवं आर0एस0 तथा अंतिम रूप से प्रकाशित हाल सर्वे नक्शा एवं वर्तमान में अवस्थित प्लॉट संख्या 1897 एवं 1898 का अधिग्रहण कर निर्मित किया गया है जिसमें हाल सर्वे नक्शा को दर्शाया गया तथा उच्च पथ को सही पाया गया। प्रथम पक्ष द्वारा मौजा बसिया खाता संख्या - 09 प्लॉट - 1897, रकबा - 0.10 एकड़ जो अधिग्रहित भूमि है उसपर अतिक्रमण कर दिवाल दिया जा रहा है जो कि अवैध है।


चूंकि यह कार्यवाही धारा 144 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रारंभ की गई है, अतः सरकारी भूमि पर किये जा रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने हेतु कोई भी आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। इसलिए अंचल अधिकारी, बसिया को निदेशित किया जाता है कि इस वाद के प्रथम पक्ष पर सरकारी भूमि के अतिक्रमण को हटाने हेतु Jharkhand Public Land Encroachment Act, 2000 के अन्तर्गत वाद संस्थित कर विधिसम्मत आदेश पारित करें।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु खाता नं0 - 9, प्लॉट नं0 - 1897, रकबा - 0.10 एकड़ भूमि के संदर्भ में धारा 144 द0प्र0सं0 की कार्यवाही प्रथम पक्ष के सदस्यगण के विरुद्ध स्थिर की जाती है तथा उक्त भूमि पर किसी के भी द्वारा किसी भी प्रकार के निर्माण को निषेधित किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को यह आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति अंचल अधिकारी, बसिया को भी भेजें।


अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।


अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।


अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

प्रतिलिपि :- थाना प्रभारी, बसिया के अप्राथमिकी संख्या - 32/2022 दिनांक 18.06.2022 के आलोक में पारित आदेश की प्रति सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निर्देश दिया जाता है कि वादगत भूमि एवं उभय पक्षों पर निगरानी रखेंगे ताकि शांति भंग न हो।


अनुमण्डल पदाधिकारी,
बसिया (गुमला)